

BUREAU OF INDIAN STANDARDS
(Establishment Department)

Our Ref: **Estt-III/100:1/2005/Vol. III**

26 February 2019

OFFICE MEMORANDUM

The Ministry of Finance, Department of Expenditure has issued instructions for grant of Non-productivity Linked Bonus to Central Government employees vide O.M. No.7/22/2008 E-III (A) dated 26 October 2015 and O.M. No.7/24/2007/E.III (A) dated 03 October 2016, 08 October 2018 and O.M. No. 7/4//2014/E III (A) dated 19 September 2017.

2. The matter regarding grant of Non-productivity Linked Bonus to the employees of the Bureau for the year 2015-16, 2016-17 and 2017-18 has been considered by the Director General, BIS and it has been decided that the ad-hoc bonus may be granted/paid to the eligible BIS employees.

3. Accordingly, it is conveyed that the Non-productivity Linked Bonus (ad-hoc bonus) may be paid to the eligible employees of BIS for the year 2015-16, 2016-17 and 2017-18 in accordance with the Ministry of Finance O.M. No.7/22/2008 E-III(A) dated 26 October 2015, O.M. No.7/24/2007/E.III (A) dated 03 October 2016, O.M. No. 7/4//2014/E III (A) dated 19 September 2017 and O.M. No. 7/24/2007/E.III (A) dated 8 October 2018 conditionally that in case the Government disallows the same to BIS employees, the amount paid will be recovered from the individual employee/beneficiaries.

4. This issues with the approval of the Competent Authority.



(N. Ravi Shankar)
Director (Establishment)

Director (Finance)

Circulated: To all concerned for information through BIS Intranet.

भारतीय मानक ब्यूरो
(स्थापना विभाग)

संदर्भ: स्था-III/100:1/2005//खण्ड-III

26 फरवरी 2019

कार्यालय ज्ञापन

वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग ने ओ.एम. नंबर 7/22/2008 ई-III(ए) दिनांक 26 अक्टूबर 2015 एवं ओ.एम. नंबर 7/24/2007/E.III(ए) दिनांक 03 अक्टूबर 2016, 08 अक्टूबर 2018 तथा ओ.एम. नंबर 7/4/2014/ई-III(ए) दिनांक 19 सितंबर 2017 के द्वारा केंद्र सरकार के कर्मचारियों को गैर-उत्पादकता लिंकड बोनस देने के निर्देश जारी किए हैं।

2. वर्ष 2015-16, 2016-17 और 2017-18 के लिए ब्यूरो के कर्मचारियों को गैर-उत्पादकता लिंकड बोनस देने के संबंध में महानिदेशक, बीआईएस द्वारा विचार किया गया और यह निर्णय लिया है कि बीआईएस के पात्र कर्मचारियों को एड-हॉक बोनस प्रदान/भुगतान किया जा सकता है।

3. तदनुसार, यह सूचित किया जाता है वर्ष 2015-16, 2016-17 और 2017-18 के लिए बीआईएस के पात्र कर्मचारियों को वित्त मंत्रालय के ओ.एम. नंबर 7/22/2008 ई-III(ए) दिनांक 26 अक्टूबर 2015, ओ.एम. नंबर 7/24/2007/ई.III (ए) दिनांक 03 अक्टूबर 2016, ओ.एम. नंबर 7/4/2014/ई.III(ए) दिनांक 19 सितंबर 2017 और ओ.एम. नंबर 7/24/2007/ई.III(ए) दिनांक 8 अक्टूबर 2018 के अनुसार गैर-उत्पादकता लिंकड बोनस (एड-हॉक बोनस) का भुगतान सशर्त रूप से किया जाय कि यदि सरकार बीआईएस कर्मचारियों के लिए एड-हॉक बोनस अमान्य करती है, तो भुगतान की गई राशि व्यक्तिगत कर्मचारी / लाभार्थियों से वसूल की जाएगी।

4. यह सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जा रहा है।


(एन. रविशंकर)
निदेशक (स्थापना)

निदेशक (वित्त)

परिचालित: बीआईएस इंटरनेट के माध्यम से सभी संबंधित की जानकारी हेतु।